

# राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6-7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर-302015

फोन : 0141-2973804, 2988946 Website: www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक:- रा.पै.मेडि.कौं/काउ. (सत्र 2019-20)/2019/२३५५

दिनांक : 16/9/19

## -:द्वितीय काउन्सलिंग प्रवेश सूचना:-

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा सत्र 2019-20 मे विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु द्वितीय ऑन-लाईन काउन्सलिंग आयोजित की जाकर पात्र आवेदकों को उनकी वरीयता के अनुसार महाविद्यालय आवंटित किये जा चुके है जिसकी सूचना राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल की वैबसाइट पर उपलब्ध है, अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में अंतिम तिथि दिनांक 23.09.2019 सांय 04.00 बजे तक समस्त मूल दस्तावेजों, जिसमें आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र भी सम्मिलित होंगे के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा ताकि प्रवेश के अंतिम दिनांक 23.09.2019 सांयकाल 06.00 बजे सॉफ्टवेयर के 'डिएक्टिवेट' (Deactivate) होने से पहले प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो सकें। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल दस्तावेज एवं छांयाप्रति, राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ निर्धारित फीस लेकर आवंटित महाविद्यालय/संस्था को उपस्थिति प्रस्तुत करें। कृपया ध्यान रहे कि मूल दस्तावेजो के अभाव में आपकी उपस्थिति (Reporting) स्वीकार नही की जायेगी।

यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगजन (Physical Handicapped) श्रेणी में चयनित है, तो ऐसे अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय/संस्था में उपस्थिति (Reporting) नही करें, क्योंकि उन्हें चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थिति के पश्चात् चिकित्सकीय परीक्षण में कोर्स हेतु पात्र पाये जाने पर ही उन्हें कौंसिल द्वारा यथा निर्देशित Alloted महाविद्यालय/संस्था में उपस्थिति (Reporting) प्रस्तुत करनी होगी, जिसका विवरण RPMC की वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

यदि किसी अभ्यर्थी का Upward Movement के तहत किसी भी अन्य महाविद्यालय/संस्था या उसी महाविद्यालय/संस्था अन्य किसी भी कोर्स में आवंटन हो चुका है तो ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थी को द्वितीय काउन्सलिंग में Upward Movement के तहत आवंटित महाविद्यालय/संस्था एवं कोर्स में अपनी उपस्थिति (Reporting) संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को पूर्व काउन्सलिंग के माध्यम से महाविद्यालय/संस्था एवं कोर्स की सीट का आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों के समस्त मूल दस्तावेजात व फीस Upward Movement में आवंटित महाविद्यालय/संस्था को पूर्व काउन्सलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्था द्वारा स्वतः ही अन्तरित (Transfer) की जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा Upward Movement के अन्तर्गत नवीन आवंटित सीट पर उपस्थिति (Reporting) नहीं की जाती है, तो अभ्यर्थी के समस्त मूल दस्तावेजात पूर्व आवंटित महाविद्यालय/संस्था के द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को लौटा दिये जायेगे तथा अभ्यर्थी के द्वारा जमा करायी गयी फीस की राशि को संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थी को न लौटाया जाकर कौंसिल के खाते में जमा कराया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा तृतीय काउन्सलिंग में भाग लिया जाता है तृतीय


16/9/19

काउन्सिलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्था में उपस्थिति (Reporting) करता है तो कौंसिल द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की फीस को अभ्यर्थी के उपस्थिति (Reporting) करने के उपरान्त तृतीय काउन्सिलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्था को अन्तरित (Transfer) कर दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी तृतीय काउन्सिलिंग में भाग लेता है, अभ्यर्थी को तृतीय काउन्सिलिंग आवंटित महाविद्यालय/संस्था में भी उपस्थिति (Reporting) नहीं करता है या कोई भी महाविद्यालय/संस्था आवंटन नहीं होती है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा कराई गई फीस पुनःसंदाय नहीं (Not Refundable) है।

यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी नहीं है, तो ऐसे समस्त प्रकरणों में उन्हें उनके राज्य के अधीन प्रदत्त आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा तथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाकर उसी अनुसार महाविद्यालय में सीटों का आवंटन किया जावेगा। अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थी कृपया यह सुनिश्चित करें कि उन्हें आवंटित सीट अनारक्षित श्रेणी की है, किसी भी आरक्षित श्रेणी की नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी के राजस्थान के मूल निवासी नहीं होने के उपरान्त भी उनके द्वारा राजस्थान के मूल निवासी होना अंकित किया जाने के कारण या अन्य किसी तकनीकी त्रुटि के कारण उन्हें राजस्थान की आरक्षित श्रेणी में किसी सीट का आवंटन हो गया हो तो ऐसी स्थिति में उनका आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। ऐसी स्थिति में यह अभ्यर्थी आगामी काउन्सिलिंग से पूर्व अपनी श्रेणी को सामान्य श्रेणी में संशोधित किये जाने का आवेदन कौंसिल की ईमेल आईडी [rpmc.helpdesk@gmail.com](mailto:rpmc.helpdesk@gmail.com) पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे उन्हें आगामी काउन्सिलिंग में रिक्त सीट पर प्रवेश का अवसर प्राप्त हो सके।

अभ्यर्थी अपना अस्थायी आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की Website : [www.rajasthanparamedicalcouncil.org](http://www.rajasthanparamedicalcouncil.org) पर दिये गये "Second Counselling Allotment Letter 2019-20" Link पर जाकर अभ्यर्थी अपनी एप्लीकेशन आई.डी. (Application ID), जन्म तिथि (DOB) से प्राप्त कर सकते हैं।

जिन अभ्यर्थियों को द्वितीय काउन्सिलिंग में कोई भी महाविद्यालय/संस्था आवंटित नहीं हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रस्तावित आगामी काउन्सिलिंग में शामिल किया जायेगा।

  
(सोमदत्त/दीक्षित)  
आर.ए.एस.  
रजिस्ट्रार